

## हमिचल प्रदेश सुखाश्रय अधिनियम, 2023

### प्रलिस के लयः

हमिचल प्रदेश सुखाश्रय अधिनियम, 2023

### मेन्स के लयः

हमिचल प्रदेश सुखाश्रय अधिनियम, 2023 के लाभ और महत्त्व

## चर्चा में क्यों ?

हमिचल प्रदेश ने **अनाथों और वशेष रूप से ज़रूरतमंदों का कल्याण सुनश्चित करने के लयि** सुखाश्रय (राज्य के बच्चों की देखभाल, संरक्षण एवं आत्मनरिभरता) अधिनियम, 2023 पारति कयि है ।

## सुखाश्रय अधिनियम, 2023 के मुख्य बदिः

### परचयः

- यह अधिनियम ऐसे बच्चों जनिहें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता है, **जनिके माता-पति नहीं हैं या माता-पति अक्षम हैं, को अनाथ** के रूप में परभाषति करता है । इसमें ऐसे बच्चे शामिल हैं जनिके पास घर नहीं है या जो जबरन शादी, अपराध या नशीली दवाओं के दुरुपयोग के जोखमि में हैं ।
- यह अधिनियम **18-27 वर्ष की आयु के बीच के लाभार्थियों को** व्यावसायिक प्रशिक्षण, कौशल वकिस और अनुशिक्षण के साथ समाज के सकरयि सदस्य बनने में मदद करने हेतु **वत्तितीय तथा संस्थागत लाभ** प्रदान करता है ।
- अधिनियम समाज के सबसे कमज़ोर वर्ग की सुरक्षा एवं देखभाल सुनश्चित करने की दशिा में एक महत्त्वपूर्ण कदम है ।

### अधिनियम के तहत लाभः

- 101 करोड रुपए परवियय के साथ मुख्यमंतरी सुखाश्रय सहायता कोष बनाया गया है** तथा योजना की देख-रेख के लयि **प्रत्येक ज़िले में एक बाल कल्याण समति की स्थापना** की जाएगी ।
- इसके तहत अनाथ एवं वशेष रूप से ज़रूरतमंद बच्चे **'राज्य के बच्चे'** माने जाएंगे ।
- इसके तहत **वत्तितीय लाभ में गर्मियों एवं सर्दियों में 5,000 रुपए, प्रमुख त्योहारों हेतु 500 रुपए** तथा कॉलेज में **दैनिक खर्च के लयि 4,000 रुपए मासिक भत्ता** शामिल है ।
- संस्थागत लाभों में **ट्रेन टिकट और राज्य के भीतर 10 दिनों के लयि आवास तथा ITI एवं सरकारी कॉलेजों में लाभार्थियों हेतु छात्रावास शुल्क** शामिल है ।
- सरकार, शादी के समय तय रकम तथा अपना घर बनाने के लयि **तीन बसिवा ज़मीन** प्रदान करेगी ।
- अनाथ जो अपने स्वयं के स्टार्टअप स्थापति करना चाहते हैं, उन्हें **उद्यमशीलता की गतविधियों को प्रोत्साहित करने हेतु एक सांकेतिक कोष** प्रदान कयि जाएगा ।
  - पीएच.डी. छात्रों को मासिक भत्ता भी मलिया ।

### अधिनियम में उल्लखित अन्य सुरक्षा उपायः

- बाल देखभाल संस्थानों के पूर्व नविसयों को 21 वर्ष की आयु तक राज्य सरकार द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी ।
- प्रत्येक बच्चे और अनाथ का आवर्ती जमा खाता खोला जाएगा एवं **राज्य सरकार इन खातों में प्रचलति दरों के अनुसार अंशदान** करेगी ।
- बाल कल्याण समति **अनाथों की पहचान हेतु सर्वेक्षण** करेगी एवं ज़रूरतमंद बच्चों की मांगों पर गौर करेगी ।

**नोटः कशिर नयाय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015** के अनुसार, देश में अनाथ एवं नरिशरति बच्चे "देखभाल तथा संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे" (Children in Need of Care and Protection- CNCP) हैं । अधिनियम के नषिपादन की प्राथमिक ज़मिमेदारी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की है ।

## केंद्र सरकार की समान पहल:

### ■ बाल संरक्षण सेवा (Child Protection Services- CPS) योजना या "मशिन वात्सल्य":

- इसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया।
- CPS के प्रावधानों के तहत केंद्र सरकार कठिन परिस्थितियों में बच्चों का स्थितिजन्य विश्लेषण करने के लिये राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान कर रही है।
- इस योजना के तहत देखभाल और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों तथा कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चों को बाल देखभाल संस्थानों (Child Care Institutions- CCI) में संस्थागत देखभाल प्रदान की जाती है।
- यह योजना गैर-संस्थागत देखभाल भी प्रदान करती है जिसमें गोद लेने, पालन-पोषण, देखभाल और प्रायोजन (Sponsorship) हेतु सहायता प्रदान की जाती है।

## स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/himachal-pradesh-sukhashraya-act-2023>

